2020/0044 न्यायालय [illegible] जिला जयपुर

80/20 रामफूल बनाम बाबूलाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	13.12.21	पत्रावली आज प्रशासनिक आधार के लिए अभिभाषक के रूप मुण्डली में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 नित्य उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 को वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जमाबंदी संवत 2015-16 में वाद ग्रस्त भूमि ख.नं. 81 स्थित ग्राम मुण्डली में वादी बतौर खातेदार नहीं है। तथा धारा 5 (43) आर.टी.एम. 1955 के तहत वादी अभिधारी घोषित नहीं है। वादी द्वारा जो पत्रावली धारा 80(2) CPC का पेश किया है उसमें भी अस्पष्ट प्रकृति विवरण से है स्पष्ट नहीं है उपरोक्त विवरण के आधार पर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कमी हो। आज दिनांक 13.12.21 को यह निर्णय प्रशासनिक आधार के लिए अभिभाषक के रूप मुण्डली में बंद लिफाफे में सुनाया गया।	